रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072026-274979
CG-DL-E-30072026-274979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3967] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948
No. 3967] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2026

का.आ. 4137(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1970(E) तारीख 20/04/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के नमक्कल जिले में NH44 के कि.मी. 180 से कि.मी.248.625 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 02/06/2026 को "थे हिंदू [इंग्लिश]" , 02/06/2026 को "डेली थंथी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और चूँकि सक्षम अधिकारी को धारा 3-C के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, और न ही उन पर विचार करके उनका उचित निपटारा किया गया है;

और चूँकि, उक्त अधिनियम की धारा 3D की उप-धारा (1) के अनुपालन में, सक्षम अधिकारी ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के नमक्कल जिले में NH44 के कि.मी. 180 से कि.मी.248.625 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु			जिले का नाम: नमक्कल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नमक्कल					
गांव का नाम: सेल्लाप्पमपट्टी					
1	73/6सी1	निजी (ड्राय)	रेसिडेंशियल	0.2576	1) रवी एँस्/ओ.मोहन 2) विजी डबल्यू/ओ.चेल्लामुथु 3) देवी डबल्यू/ओ.रवी 4) मुथुकुमारन एँस्/ओ.चेल्लामुथु 5) मासिलामणि डबल्यू/ओ.थालामुथु 73/6C1
			कुल योग	0.2576	

[फा. सं. 861/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2026

S.O. 4137(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1970(E) Dated:20/04/2026** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH44 in the stretch of land from Km. 180 to Km. 248.625 in the district of NAMAKKAL in the state of TAMIL NADU

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Hindu" dated 02/06/2026 , "Daily Thanthi" dated 02/06/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has not received any objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted her report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH44 in the stretch of land from Km. 180 to Km. 248.625 in the district of NAMAKKAL in the state of TAMIL NADU

State: TAMIL NADU			**District: NAMAKKAL**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Namakkal					
Village: Sellappampatti					
1	73/6C1	Private (Dry)	Residential	0.2576	1) Ravi S/o.Mohan 2) Viji W/o.Chellamuthu 3) Devi W/o.Ravi 4) Muthukumaran S/o.Chellamuthu 5) Masilamani W/o.Thalamuthu 73/6C1
			Total	**0.2576**	

[F. No. 861/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.30 21:33:41 +05'30'